

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
परिपत्र संख्या-वा0क0अधि0/दस-3(ग)/वे0नि0आ0लि0/वय0स0. 159/2023, दिनांक 09/05/2023

परिपत्र

इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेशक-वा0क0अधि0/दस-3(ग)/वे0नि0/3434/2020, दिनांक: 09/12/2020, तथा परिपत्र सं0-857/2021, दिनांक 04.03.2021 तथा परिपत्र सं0-1219/2021, दिनांक 24.03.2021 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि रिट याचिका सं0 5234 (एस.एस.) 2021 देवराज सिंह एण्ड अर्क्ष बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2023 द्वारा डिसमिस कर दिया है।

अतः पूर्व निर्गत आदेशक-वा0क0अधि0/दस-3(ग)/वे0नि0/3434/2020, दिनांक: 09/12/2020 के अनुपालन में अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त अशुलिपिकों/वैय0सहायकों की सेवापुस्तिका में अंकित कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार 15 दिवस में वेतन निर्धारण करते हुये वसूली/समायोजन सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ह0  
(अरविन्द मलिक)  
एच0जे0एस0,  
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठोंकन संख्या व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
- 2-निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (डी0डी0ओ0)
- 3-समस्त कौशधिकारी अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
- 4-समस्त प्रधान सहायक एवं व0सहा0(लेखा), वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
- 5-प्रशासनिक अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि मुख्यालय पर कार्यरत/सेवा निवृत्त अशुलिपिकों/वैय0 सहायकों का वेतन निर्धारण कराते हुये वसूली/समायोजन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें
- 6-वसूली सहायक रिट/आलेख-प्रालेखक-1/लेखा/पेंशन/बजट) मुख्यालय।

आज्ञा से



(तरुण कुमार)  
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

9/5/2023